रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 156] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अक्तूबर 7, 1971/आश्विन 15, 1893

No. 156] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 7, 1971/ASVINA 15, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

13 JAN 1972

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 7th October 1971

SUBJECT.—*Utilisation of licences for iron and steel items.*

No. 133-ITC(PN)/71.—With a view to keeping a close which on the demand for and availability of iron and steel items, it has been decided that project authorities, actual users and exporters holding import licences for iron and steel items (including those issued under the import policy for registered exporters as well as combined import licences issued in favour of IDA beneficiary industries) issued after 31st March, 1970 should send monthly reports regarding placement of orders, actual shipments, etc., in the annexed proforma (Annexure I) to the Joint Plant Committee, 18, Rabindra Sarani, Calcutta.

2. The provision of this Public Notice will also be applicable to the import of iron and steel items under the flexibility provided in para 85 of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1971 and in para 38 of Part 'B' of Section I of the Import Trade Control Policy, (Red Book-Vol. II) for the period April 1971—March 1972.

3. The first report which should reach the authorities concerned by the 31st October, 1971 should cover the information as on the 30th September, 1971 and subsequent reports should be submitted on a monthly basis. The importers should ensure that monthly reports are sent by them to the above mentioned authority during the first week of the month following the month to which report relates.

4. Import licences issued to actual users and exporters with effect from April 1, 1970 shall be deemed to be subject to the condition that the licence holder shall submit the return as prescribed in this Public Notice, and defaulters in the matter of submission of the required returns would be deemed to have contravened the provisions of the Imports (Control) Order 1955, as amended and would be also liable to non-revalidation of existing licences (where required) and non-issue of further licences where such default is detected.

ANNEXURE I

PROFORMA

Placing of orders and imports effected against Import Licences issued for iron & steel items Utilisation Report for the month ending.....

1. Name and address of the licensee/Letter of Authority holder

2. (a) Serial number of the import licences, with prefixes and suffixes

 (b) Date of issue of the import licence

 (c) Name of the end-product/products for which licence has been issued

3. Mode of financing

4. Category of importer

5. Total value of the licencee (Rs.)

6. Total quantity of the licence (where quantity is the limiting factor or where quantity is one of the limiting factors)

Product	Section/ size	Quality	Tonnes

7. Country(s) of import.....

8. Details of Firm Order placed:

S. No.	Item for which Order placed			Date on which order placed	Quantity of the order placed	Value (CIF) in (Rs.) of the order placed	Country on which order placed
	Product @	Section/ size	Quality @				

@ Full description with corresponding Code (Vide Annexure II) in bracket.

9. Quantity and value of goods imported during the month under report :

S. No.	Item Imported (Code)			Country from which imported	Quantity (tonnes)	Value (CIF) Rs.	Port of Clearance
	Product @	Section/ size	Quaity @				

@Full description with corresponding Code (Vide Annexure II) in bracket.

10. Balance unutilised in the Customs purposes copy of the licence at the end of the month under report.....

Quantity (tonnes)			Value (Rs.)
Product	Section/size	Quality	

11. Date of expiry of the validity period of the licence including the period of revalidation, if any.

I/we hereby certify that the particulars furnished above are true to the best of my/our knowledge and belief.

Date : Signature of the Licencee

Note.—1. This utilisation report should be submitted by (a) all licencees who have been granted import licence (s) for the import of iron and steel items; (b) all licensees who have been issued 'IDA' licences and who import iron and steel among other items and (c) actual users who were granted import licences of non iron steel items, but who actually import iron and steel items under the flexibility clause provided under the relevant ITC rules and rgulations.

2. 'Category of importers' means the usual categories as adopted by the Import Contro Organization (actual users, Registered exporters and others).

3. Where description of goods is given, the corresponding code may also be given side by side in bracket.

Annexure II

Import of Iron and Steel

Codesfor Machine Tabulation

Sl. No.	Product	IPC Code
I.	*Products*	
1	Pig Iron and Spong Iron	010
2	Blooms	101
3	Shell Blooms	102

S. No.	Product	JPC Dode
4	Seamless Blooms	103
5	Slabs	110
6	Billets	120
7	Shell Bars	130
8	Fish Plate Bars	190
9	Rails	210
10	Sleepers (Pressed)	220
11	Fish Plates	240
12	Wheel Sets	250
13	Wheels—Loose	260
14	Loose Axles	270
15	Beams (Joists)	310
16	Channels	330
17	Angles	340
18	Beelt Angles	342
19	Tees	350
20	Crane Rails	380
21	Sheet Piles	390
22	Rounds	410
23	Squares	420
24	Flats	430
25	Octagons	441
26	Hexagons	44
27	Plates (Thickness 5 mm and above)	510
28	Sheets (Thickness below 5 mm)	610
29	Galvanised Plain Sheets	62
30	Galvanised Corrugated Sheets	62 0
31	Electrical Sheets—Transformer Grade	63 1
32	Electrical Sheets—Dynamo Grade	63 0 1
33	Skelp	65 0
34	Strips	710
35	Tin Plates—Prime	81
36	Tin Plates—Seconds	82 0
37	Seamless Pipes & Tubes	84 0
38	Other Pipes & Tubes	841
39	Steel Castings	856
40	Iron Castings	86

II. *Size/Section Codes*

In the case of sizes/sections, for which no codes have been suggested, the actual size or section will be indicated in the relevant column.

In the case of flats products, only 'thickness' to be indicated in the size column.

III. *Qualities* :

A.	*Mild Steel*	100
1	Standard Tested	101
2	Commercial	102
3	Off-grade	10
4	Mixed Grades	104

S. No.	Products	JPC Code
B.	*Special Steels*	200
5	Forging Qualities	201
6	Silico Manganese Spring Steel	202
7	High Carbon (0.5 C & above)	203
8	Weldable Quality	204
9	High Tensile	205
10	Boiler	206
11	Ship Building	207
12	Deep Drawing	208
13	Extra Deep Drawing	209
14	Enamel	210
15	Electrode	211
16	Free cutting Steels	212
17	Others	299
	C. *Tool & Alloy Steels*	300
18	*Tool Steels*	
	Cold worked	311
	Hot worked	312
	Carbon tool steels	313
	Shock resisting steels	314
	High speed steels	315
19	Carbon Constructional	321
20	Alloy Constructional	322
21	Ball Bearing	323
22	Stainless Steels	324
23	Die Blocks	325
24	Vanadium Spring Steels	326

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 1971

विषय:— लोहा तथा इस्पात मदों के लिए लाइसेंसों का उपयोग।

सं० 133 आई० टी० सी० (पी० एन०)/71.—लोहा और इस्पात मदों की मांग और उनकी प्राप्यता पर बहुत अधिक ध्यान देने की दृष्टि से इस बात का निश्चय किया गया है कि परियोजना प्राधिकारी, वास्तविक उपयोक्ता और निर्यातक जिन के पास 31 मार्च, 1970 के बाद जारी किए गए लोहा

तथा इस्पात मदों के लिए लाइसेंस हैं, (उनमें वे पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेंस और साथ ही साथ सम्मिलित आयात लाइसेंस जो आई डी ए लाभग्राही कारखानों के हक में जारी किए गए थे, भी शामिल है) उन्हें चाहिए कि वे आदेश देने, वास्तविक पोतलदान आदि के संबंध में मासिक रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र (अनुबंध 1) में संयुक्त संयन्त्र समिति, 18 रविन्द्र सारनी, कलकत्ता को भेजें।

2. प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना की शर्तें, आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा कार्यविधि पुस्तक हडबुक 1971 की कंडिका 85 और अप्रैल, 1971 मार्च 1972 अवधि के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैडबुक खं० 2) के खंड 1 के भाग 'बी' की कंडिका 38 में दी गई ढिलाई के अंतगत लोहा और इस्पात मदों के आयात के लिए भी लागू होगी।

3. पहली रिपोर्ट जो संबंधित प्राधिकारियों के पास 31, अक्तूबर, 1971 तक पहुंच जानी चाहिए उसमें 30 सितम्बर 1971 को जैसी सूचना थी, उसमें होनी चाहिए और उत्तरवर्ती रिपोर्टें मासिक आधार पर प्रस्तुत की जानी चाहिए। आयातकों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए* कि उनके द्वारा उपर्युक्त प्राधिकारियों को मासिक रिपोर्ट जिस मास के संबंध में वे हैं उस से अगले मास के पहले सप्ताह में भेजी जाती हैं।

4. एक अप्रैल, 1970 से वास्तविक उपयोक्ताओं और निर्यातकों को जारी किए गए आयात लाइसस इस शर्त के अधीन जारी किए गए समझे जाएंगे कि लाइसेंस धारी प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना में निर्धारित अनुसार विवरण भेजेंगे और अपेक्षित विवरणों के भेजने के संबंध में चूककर्त्ता (याद ऐसी कोई चूक पाई जाती है) तो वे यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 में दी गई व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने वाले समझे जाएंगे और वर्तमान लाइसेंसों (जहां आवश्यक हों) के पुनर्वैधीकरण न करने और आगे के लिए लाइसेंस जारी न करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे।

अनुबन्ध

प्रपत्र

लोहा और इस्पात मदों के लिए जारी किए गए आयात लाइसेंसों के विपरीत किए गए आयात और आदेश देना:————————————को समाप्त होने वाले मास के लिए उपयोग-रिपोर्ट,

———

1. लाइसेंस धारी/प्राधिकार-पत्र धारी का नाम और पता.

2. (क) पहले वाले प्रत्यों और बाद वाले प्रत्यों के साथ आयात लाइसेंस की संख्या :

 (ख) आयात लाइसेंसों के जारी होने की तिथि :

 (ग) अन्तिम उत्पाद/उत्पादों के नाम जिनके लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं :

3. अर्थयुक्त करने की प्रणाली :

4 आयातक की श्रेणी :

5. लाइसेंस का कुल मूल्य (रु० में)

उत्पाद सेक्शन/साइज कोटि टन

6. लाइसेंस की कुल मात्रा
(जहां मात्रा सीमाकारक गुणक है अथवा जहां सीमाकारक गुणकों में से मात्रा एक है)

7. आयात का देश (देशों)

8. जारी किये गये फर्म आदेशों के विवरण :

क्रम० संख्या	मद जिस के लिए आदेश दिया गया है	तिथि जिसको आदेश दिया गया था ।	दिये गये आदेश की मात्रा	दिये गये आदेश का (सी० आई० एफ०) मूल्य रु०) में	देश जिसके लिए आदेश दिया गया था
	उत्पाद* सैक्शन/ साइज कोटि				

*सम्पूर्ण विवरण, अनुरूपी कोड के साथ कोष्ठ में अनुबन्ध--2 देखिए).

9. प्रस्तुत रिपोर्ट में दिखाए गये मास के दौरान आयातित माल का मूल्य और मात्रा:

क्रम संख्या	आयातित मद (कोड)			देश, जिसके लिए आयात किया गया है।	मात्रा (टन में)	मूल्य (सी० आई० एफ०) रु० में	निकासी का पत्तन
	उत्पादें*	सैक्शन/ साइज	कोटि*				

* सम्पूर्ण विवरण अनुसूची कोड के साथ कोष्ठ में (अनुबन्ध–2 देखिए).

10. प्रस्तुत रिपोर्ट में दिखाए गये मास के अन्त में लाइसेंस की सीमा-शुल्क कार्य–सम्बन्धी प्रति में शेष जिसका उपयोग नहीं किया गया :—

मात्रा (टन में)			मूल्य
उत्पाद	सैक्शन/साइज	कोटि	(रु० में)

11. पुर्नावधीकरण की अवधि, यदि कोई हो, शामिल करते हुए लाइसेंस की वैध अवधि के समाप्त होने की तारीख।

'/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि दिये गए उपर्युक्त ब्यौरे मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास में सत्य है।

दिनांक: लाइसेंसधारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी: 1 प्रस्तुत उपयोग रिपोर्ट (क) उन सभी लाइसेंसधारियों द्वारा जिन्हें लोहा और इस्पात मदों के लिए लाइसेंस स्वीकृत किये गये हैं; (ख) उन सभी लाइसेंसधारियों द्वारा जिन्हें 'आई डी ए' लाइसेंस स्वीकृत किए गए हैं और जो 'अन्य मदों में से लोहा और इस्पात मदें आयात करते हैं तथा

(ग) वे वास्तविक उपयोक्ता जिन्हें गैर लौहा इस्पात मदों के लिए लाइसेंस स्वीकृत किये गये थे, किन्तु जो वास्तव में सम्बन्धित आयात व्यापार नियंत्रण नियम और विनियमों के अन्तर्गत दी गई ढिलाई धारा के अन्तर्गत लौहा और इस्पात की मदों का आयात करते हैं, प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

2. 'आयातकों की श्रेणी' का तात्पर्य, सामान्य श्रेणियों से है जो आयात नियंत्रण संघठन द्वारा अपनाई गई है (वास्तविक उपयोक्ता, पंजीकृत निर्यातिक तथा अन्य).

3. जहां माल का विवरण दिया गया हैं उसके साथ ही साथ कोष्ठ में अनुरुपी कोड भी दिया जाय ।

अनबन्ध 2

लौहा तथा इस्पात का आयात

मशीन सारणीकरण के लिए संकेत

क्रम संख्या	उत्पाद	जे पी सी कोड
1	2	3
1.	**उत्पाद**	
1	कच्चा लौहा तथा स्पंज लौहा	010
2	ब्लूम्स	101
3	शील ब्लूम्स	102
4	बिना जोड़ वाले ब्लूम्स	103
5	सिल्लियां	110
6	बिलेट	120
7	शील सलाख	130
8	फिश प्लेट सलाखें	190
9	लौहे की पटरियां (रेल)	210
10	स्लीपर (सम्पीडित)	220
11	फिशप्लेट्स	240
12	व्हील सैट	250
13	शील्ज–लूज	260

1	2	3
14	असंगठित धुरे	270
15	धरनियां (कड़िया)	310
16	नालियां	330
17	कौण (ऐंगल्ज)	340
18	बीरुट कौण (ऐंगल्ज)	342
19	गुनिया	350
20	ग्रैनो-रैल्स	380
21	पट्टी मेख	390
22	गोल छड़ें	410
23	गोनिया	420
24	फ्लैट्स	430
25	अष्टभुज	441
26	षटभुज	442
27	प्लेट्स (मोटाई 5 मि० मी० और इससे ऊपर वाले) . . .	510
28	पट्टियां (मोटाई 5 मि० मी० से कम) . . .	610
29	जस्तीकृत प्लेन शीट्स	620
30	जस्तीकृत नालीदार शीट्स	621
31	विद्युतीय शीट्स—परिणामित्र कोटी	630
32	—वही— डायनेमो कोटी	631
33	स्कैल्प	650
34	स्ट्रिप्स	710
35	टिन प्लेलट्स प्राइप	810
36	टिन प्लेट्स-मध्यम	820
37	बिना जोड़ वाले पाइपें तथा ट्यूबें	840
38	अन्य पाइपें तथा ट्यूबें	841
39	इस्पात की ढली वस्तुएं	850
40	लौ की ढली वस्तुएं	860

2. साइज/सैक्शन कोड

साइज/सैक्शन जिन के लिए कोड का सुझाव नहीं दिया गया है 'उन मामलों में संगत कालम में वास्तविक साइज या सेक्शन का निर्देशन किया जायेगा ।

प्लेट उत्पादों के मामले में साइज कालम में केवल 'मोटाई' निर्दिष्ट की जानी है ।

क्रम संख्या	उत्पाद/कोटि	जैपीसी कोड
3.	**कोटियां:—**	
क.	**नरम इस्पात**	**100**
1	मानक परीक्षित	1 1
2	वाणिज्यिक	102
3	ग्राफ–ग्रेड	103
4	मिश्रित ग्रेड	104
ख.	**विशेष इस्पात**	**200**
5	फोरजिंग-क्वालिटीज	201
6	सिलिको मेंगनीज स्प्रिंग स्टील	202
7	हाई कार्बन (0.5 सी तथा इससे ऊपर वाले)	203
8	क्षलाई–कोटि	204
9	हाई टेंसिल	205
10	बायलर	206
11	पोत निर्माण के लिए	207
12	डीप ड्राइंग	208
13	एक्सट्रा डीप ड्राइंग	209
14	इनैमल	210
15	इलैक्ट्रोड	211
16	फ्री कटिंग इस्पात	212
17	अन्य	299
ग.	**औजार तथा मिश्रधातु-इस्पात**	**300**

क्रम संख्या	उत्पाद/कोटि	जैपीसी कोड
18	**औजार इस्पात**	
	कोल्ड वर्क्ड	311
	होट वर्क्ड	312
	कार्बन औजार-इस्पात	313
	शाक रैसिस्टिंग इस्पात	314
	हाई स्पीड इस्पात	315
19	कार्बन-बनावट का	321
20	मिश्रधातु-बनावट का	322
21	बाल बियरिंग	323
22	डाई ब्लाक्स	325
23	जंगविरोधी इस्पात	324
24	वैनेडियम स्प्रिंग इस्पात	326

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971